00307
04-05-2020 संख्या : 90/XXVII (10)/2019–27(8)2017

सम्बन्धित कोषागारों को प्रचालित करायें। पोर्टल में भी अपलोड करायें
AAO

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन, लेखा एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 30 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2020

विषय :विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों से आच्छादित दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 64/XXVII(10)/27(08)2017/2019 दिनांक 27.05.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों से आच्छादित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में किया गया है।

2. केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38/37/2016–P&PW (A), दिनांक 12.05.2017 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त कार्मिको के द्वारा सेवानिवृत्त के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया है, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 04.08.2016 की व्यवस्थानुसार, दिनांक 01.01.2016 से पूर्व की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में से जो भी अधिक हो, वह दिनांक 01.1.2016 को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी। इसी आशय का कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1–1/2017–यू.।। दिनांक 11.06.2018 मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी जारी किया गया है।

3. उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत मुझे कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय/तकनीकी संस्थानों व अन्य ऐसे संस्थान जिनमें यू0जी0सी0 के वेतनमान लागू हैं, से सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा धारित वेतनमान में आहरित अन्तिम वेतन का प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण उस शिक्षक की

क्रमशः पृष्ठ–2

सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के उपरान्त जब–जब केन्द्रीय वेतन आयोग/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया, तब–तब प्रकल्पित रूप से किया जायेगा। इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

4. उक्तानुसार प्रकल्पित रूप से वेतन का निर्धारण करते हुये पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 के पूर्व की अवधि के लिये कोई एरियर देय नहीं होगा। इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षण पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 01. 02.2020 से किया जायेगा। पुनरीक्षित पेंशन के दिनांक 01.01.2016 से 31.1.2020 तक के एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में समान दो किश्तों में किया जायेगा।

5. प्रकल्पित आधार पर विभिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित कुलसचिव/वित्त अधिकारी/प्रबन्धक/प्राचार्य द्वारा करते हुये पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को संशोधित पेंशन भुगतानादेश (पी0पी0ओ0) निर्गत किये जाने हेतु वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश प्रेषित किये जायेंगे। भुगतानादेश उसी पी0पी0ओ0 संख्या पर निर्गत किया जायेगा, जिस पी0पी0ओ0 संख्या द्वारा पेंशन मूलरूप से स्वीकृत की गई है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्याः– 90 /xxvii(10)/2019/27(08)17 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5– समस्त कुलसचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड। (निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से)
6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

पेंशनर का विवरण –

(a) जी0आर0डी0 संख्या: .... (b) बैक अकाउंट नं0...
(c) पेंशनर का नाम:...(d) पेंशन का प्रकार.........(अधिवर्षता / पारिवारिक)
(e) पी0पी0ओ0 संख्या:..(f) पद का नाम:..
(g) आहरण वितरण अधिकारी कोड:......................(h) विभाग का नाम:...
(i) जन्म तिथि:..(j) नियुक्ति की तिथि:...
(k) सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि:................................(l) अर्ह सेवा अवधि: ....वर्ष...........माह..........दिन
(m) पैन नं0:...(n) मोबाइल नं0:..
(o) पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम:..........................(p) जन्म तिथि ....
(q) पैन नं0:..(r) मोबाइल नं0:...

1. **सेवानिवृत्ति की तिथि को वेतन / पेंशन –**

(a) सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि को लागू वेतन आयोग:..
(b) वेतनमान:...(c) वेतन:...
(d) मूल पेंशन:..(e) पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर............) तक.....
(f) पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर............) से.........

2. **प्रकल्पित वेतन के आधार पर संशोधित पेंशन –**

क0सं0	विवरण	प्रकल्पित वेतन	पेंशन
1	चौथा वेतन आयोग		
2	पॉचवा वेतन आयोग		
3	छठा वेतन आयोग		
4	सातवा वेतन आयोग		
5	पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर)		
6	पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर)		

विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष / आ0वि0अधि0
(हस्ताक्षर)

कोषागार प्रयोगार्थः

आई0डी:

लेखाकार

स0कोषाधिकारी

मुख्य / वरिष्ठ /
कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी